

1. एचआईवी और परिवार शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीएएफई)
2. एचआईवी और परिवार शिक्षा में डिप्लोमा (डीएएफई)

सत्रीय कार्य-2025



समाज कार्य विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

सत्रीय कार्य भेजने के लिए अनुसूची

प्रिय विद्यार्थी

हमें उम्मीद है कि आप सीएएफई (CAFE) / डीएएफई (DAFE) कार्यक्रम मार्गदर्शिका को ध्यानपूर्वक पढ़ चुके होंगे। हमने इस मार्गदर्शिका में यह समझाया है कि इग्नू को सत्र-समाप्ति की परीक्षा में पात्र बनने के लिए दिये गये सत्रीय कार्य को निश्चित समयाविधि में पूरा करना आवश्यक है। सीएएफई / डीएएफई के सभी सत्रीय कार्य अध्यापक चिन्हित सत्रीय कार्य (टीएमए) एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है।

सीएएफई / डीएएफई के लिए जो सत्रीय कार्य हैं वे सभी पाठ्यक्रमों के लिए भी होंगे। आपको अलग-अलग सत्रीय कार्य, बीएफई-101, बीएफई-102 और बीएफईई-101 से बीएफईई-104 पर आधारित दिये जा रहे हैं। (जनवरी 2025 और जुलाई 2025 के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए)। **सत्रीय कार्य लिखने से पहले, आप कार्यक्रम मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देश और पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।** उत्तर लिखने से पहले सत्रीय कार्य सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको पाठ्यक्रम और सत्रीय कार्य से सम्बन्धित कोई सन्देह या समस्या है तो आप अपने अध्ययन केन्द्र में सम्बन्धित शैक्षिक सलाहकार से सम्पर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि आप पहले पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ें और तब उसके बाद सत्रीय कार्य को निर्देशों के अनुसार तैयार करें। आपके उत्तर, शाब्दिक सामग्री/ब्लॉक जो आपको स्वयं के सीखने के उद्देश्य से दी गयी है से शब्दशः नकल नहीं होना चाहिए। **सत्रीय कार्य हस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।** कृपया अपने सत्रीय कार्य के उत्तर दी गयी तारीख के पहले जो कि आपकी रसीद पर उल्लेखित है, अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा करें। आप से उम्मीद की जाती है कि आप सत्रीय कार्य की एक कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी भविष्य में किसी भी सन्दर्भ या प्रयोग के लिए रखें।

कृपया परीक्षा में बैठने से पहले सत्रीय कार्य जमा करें। नवीनतम जानकारी के लिए इग्नू वेबसाइट देखें।

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।

(डॉ. जी. महेश)

कार्यक्रम समन्वयक

ई मेल : gmahesh@ignou.ac.in

फोन : 011 – 29571694

एचआईवी में संचार और परामर्श (बीएफईई-104)

पाठ्यक्रम कोड : बीएफईई-104

अधिकतम अंक : 100

1. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 500 शब्दों में) दीजिए।
 - i) एचआईवी पॉजिटिव ग्राहकों के साथ कलंक और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करते समय परामर्शदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ सुझाएँ। 20
 - ii) एचआईवी/एड्स परामर्श और संचार में प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के महत्व का आकलन करें। संभावित लाभ और कमियाँ क्या हैं? 20
 - iii) एचआईवी/एड्स परामर्श सत्रों की प्रभावशीलता बढ़ाने में पारस्परिक संचार कौशल की भूमिका का मूल्यांकन करें। अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान करें। 20
 - iv) भारत में एचआईवी/एड्स संचार रणनीतियों पर सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं के प्रभाव का विश्लेषण करें। परामर्शदाता इन सांस्कृतिक बारीकियों को प्रभावी ढंग से कैसे नेविगेट कर सकते हैं? 20
 - v) गोपनीयता, सूचित सहमति और परामर्शदाता-ग्राहक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए एचआईवी/एड्स परामर्श में नैतिक विचारों पर चर्चा करें। 20
2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं भी तीन का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।
 - i) एचआईवी/एड्स परामर्श में प्रभावी संचार में आम बाधाओं की पहचान करें और उन्हें दूर करने के तरीके सुझाएँ। 10
 - ii) एचआईवी/एड्स परामर्श में संकट हस्तक्षेप की प्रक्रिया और प्रभावी संकट प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल की रूपरेखा तैयार करें। 10
 - iii) परामर्श सत्रों के दौरान ग्राहकों के साथ तालमेल बनाने में गैर-मौखिक संचार की भूमिका पर चर्चा करें। 10
 - iv) एचआईवी/एड्स परामर्श में सक्रिय सुनने के महत्व और ग्राहक परिणामों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। 10
 - v) एचआईवी रोकथाम के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन के चरणों का वर्णन करें और परामर्शदाता इन चरणों के माध्यम से प्रगति को कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं। 10
3. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं भी पाँच पर लगभग 150 शब्दों में लघु नोट लिखें।
 - i) एचआईवी संचार पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव 6
 - ii) भारत में एचआईवी/एड्स से संबंधित गोपनीयता कानून 6
 - iii) परामर्श तकनीक के रूप में कहानी कहने का उपयोग 6
 - iv) एचआईवी/एड्स कार्यक्रमों में सहकर्मी परामर्श 6
 - v) परामर्शदाता स्व-देखभाल और बर्नआउट रोकथाम 6
 - vi) एचआईवी देखभाल में सहायता समूहों की भूमिका 6
 - vii) प्रेरक साक्षात्कार 6
 - viii) परामर्श में सहानुभूति 6